न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजवीर सिंह चौधरी, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 02/2015, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. श्री पप्पू उर्फ भरतलाल पुत्र श्री मंगला राम जाति मीना निवासी धनावड थाना कोलवा जिला दौसा

<u>कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975</u>

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार ।
: श्री पप्पू उर्फ भरतलाल – गैर सायल ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: निर्णय :– दिनांकः– 25.02.2019

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा कि गैर सायल श्री पप्पू उर्फ भरतलाल पुत्र श्री मंगला राम जाति मीना निवासी धनावड थाना कोलवा जिला दौसा का रहने वाला है जो अवैध रूप से शराब बेचने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाका में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। इसके विरूद्ध थाना कोलवा में निम्नलिखित मुकदमें दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा (जुर्माना) हुआ है–

1. मु.न. 165/1998 19/54 आब.अधि
2. मु.न. 104/2000 19/54 आब.अधि
3. मु.न. 57/2005 19/54 आब.अधि

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की है। इस्तगासा दर्ज कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये। गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना कोलवा की रिपोर्ट में बताया कि गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा तीन बार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

अपराध कारित किया गया है। गैरसायल थाना क्षेत्र थाना कोलवा में अवैध रूप से शराब बेचने है एवं अन्य व्यक्तियों को भी अवैध रूप से शराब बेचकर वातावरण को दूषित करता है। गैर सायल की गतिविधियों से समाज में नई पीढी पर गलत असर पड़ रहा है तथा आम जनता की सम्पत्ति व सुरक्षा तथा क्षेत्र में अशान्ति होने का भी खतरा है। श्री पप्पू उर्फ भरतलाल पुत्र श्री मंगला राम जाति मीना निवासी धनावड थाना कोलवा जिला दौसा के इलाके में रहने से शान्ति भंग होने का अंदेशा है। इसके विपक्ष कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने में कतराता है समाज में इनका भय बना हुआ है गांव में सद्भावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों के कारण धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

गैर सायल द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि इस्तगासे में वर्णित प्रकरणो का निर्णय हो चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में कोई प्रकरण न तो दर्ज है न ही विचाराधीन है। प्रार्थी बहुत ही गरीब हैं जो मेहनत मजदूरी करके आपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी के खिलाफ संगीन किस्म का आरोप नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. प्रकरण वर्ष 1998, 2000 व 2005 के है। जिनका निर्णय हो चुका है। इसके पश्चात प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा मेहनत मजदूरी करके आपना और अपने परिवार का जीविकापार्जन करना व्यक्त किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल श्री पप्पू उर्फ भरतलाल पुत्र श्री मंगला राम जाति मीना निवासी धनावड थाना कोलवा जिला दौसा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण ड्रोप किया जाता है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक जिला दौसा को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (दौसा)

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official